(252)

भाकृअप– भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी

फा.सं. 09/जीएसी/44वीं/आई.एम.सी./2018 दिनांक: 31.08.2018

**परिपत्र**

इस संस्थान में कार्यरत समस्त विभागाध्यक्षों/परियोजना समन्वयक (चारा फसलें इकाई)/वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों एवं इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों तथा इन विभागों/अनुभागों/इकाईयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित करना है कि संस्थान के स्टॉफ एवं उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराये जाने के संबंध में संस्थान प्रबंध समिति की 44वीं बैठक दिनांक: 23.02.2018 को रखे गये एजेण्डा आईटम के अनुसार तैयार किये गये कार्यवृत्त को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित करते हुए एवं तदनुसार इस संबंध में परिषद को रामराजा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओरछा तिगैला, ओरछा जिला टीकमगढ़–म.प्र. एवं लाइफ लाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं हार्ट सेंटर, झाँसी को संस्थान के स्टॉफ एवं उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की अनुमोदित दरों पर मेडिकल अटेंडेंस एवं उपचार के वाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग की सुविधाएं प्रदान कराये जाने के संबंध में सम संख्यक पत्र फा.सं. दिनांकितः 25.05.2018 के द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को परिषद द्वारा अनुमोदित करते हुए पत्र संख्या सीएस/8/6/2018 –सं.प्र.–4 दिनांकितः 19 जुलाई, 2018 के माध्यम से इस प्रयोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरांकित चिकित्सालयों से दिनांक: 25.08.2018 को इस संबंध में निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार एम.ओ.यू. किया जा चुका है।

अतः संस्थान के सभी कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी इन चिकित्सालयों से चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ निम्नलिखित औपचारिकताओं पूर्ण करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं।

1. रामराजा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं लाइफ लाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं हार्ट सेंटर, झाँसी से स्वयं की मेडिकल अटेंडेंस/उपचार की सुविधा (वाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के संबंध में) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अपने स्वयं के परिचय–पत्र को अस्पताल की संबंधित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं।
2. पारिवारिक आश्रितों को इन चिकित्सालयों से सुविधाएं प्राप्त कराने हेतु संस्थान के स्थापना अनुभाग से अलग से परिचय–पत्र का प्रारूप वांछित दिशा–निर्देशों सहित परिपत्रित किया जायेगा।
3. संस्थान के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को मेडिकल अटेंडेंस/उपचार इत्यादि की सुविधाएं सी.जी.एच.एस. की अनुमोदित दरों पर संबंधित अस्पतालों को उपचार के पूर्व भुगतान करने के आधार पर प्राप्त हो सकेंगी जिसकी वापसी का भुगतान उन्हें सी.जी.एच.एस./सी.ए.(एम.एस.) की दरों एवं वास्तविक व्यय, में से जो भी कम धनराशि होगी, की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जायेगी।
4. आकस्मिक स्थिति में इन अस्पतालों द्वारा 24 घंटे चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करायीं जायेंगी।
5. यदि किसी भी स्टॉफ अथवा उसके पारिवारिक आश्रित को इन अस्पतालों में भर्ती करना पड़ता है तो इसकी सूचना संस्थान प्रशासन को देना आवश्यक होगा।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् जारी किया जा रहा है।

(हस्ताक्षर) 31/8

प्रभारी वरि. प्रशासनिक अधिकारी एवं
कार्यालयध्यक्ष

वितरण:

1. सभी विभागाध्यक्ष/परियोजना समन्वयक (चारा फसलें यूनिट)/वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों के सहा. प्रशासनिक अधिकारीगण/सभी ईकाईयों के प्रभारी अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने विभाग/अनुभाग/ईकाई में कार्यरत सभी स्टॉफ को परिपत्रित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, रामराजा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ओरछा तिगैला, ओरछा, टीकमगढ़ – म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक
3. प्रबंध निदेशक, लाइफ लाइन सुपर – स्पेशलिटी अस्पताल एवं हार्ट केअर सेंटर, झाँसी को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी अधिकारी निदेशक कोष्ठ को निदेशक महोदय की सूचनार्थ।
5. सभी नोटिस बोर्ड्स।
6. संबंधित फाइल।